4

स0स0 3/विविध–01–52/2026

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

716(3)

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

डा0 सदभावना सिंह,
चिकित्सा पदाधिकारी,
अनुमंडलीय अस्पताल, मनिहारी, कटिहार।

पटना, दिनांक 12/8/26

विषयः अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विज्ञापन सं0 BCECEB/Health (SR)/2025 द्वारा विज्ञापित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के चयन प्रकिया में भाग लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन विभाग में समर्पित किया गया है ।

02. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प सं0 508(3) दिनांक 05.06.2026 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्गत दिशानिर्देश के कंडिका–5(ङ) में अंकित है कि लंबी अवधि तक अवकाश/अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों को राज्य के अन्दर तथा बाहर के चिकित्सा संस्थानों मे उच्च शिक्षा अध्ययन/सीनियर रेजिडेंट एवं अन्य अनुमान्य प्रयोजन हेतु अनापत्ति पुनः पदस्थापित स्थल पर योगदान करने के एक वर्ष के नियमित सेवा के उपरान्त ही देय होगा।

03. आपके आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप पदस्थापन स्थल से दिनांक 17.03.2026 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

04. अतः विभागीय संकल्प सं0 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका–5(ङ) के आलोक में आपका आवेदन विचार योग्य नहीं है।

05. प्रस्ताव मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

12/8/26

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 716(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 12/8/26

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/8/26

सरकार के उप सचिव

D \Old System Data\New folder\2026\NOC Admision-02012026 docx-28072026-31072026